तत्काल निर्गत

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का

खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या–4

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का बिहार राज्य के वर्ष 2020–21 के लिए "खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों" पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत तैयार किये गये 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र)–बिहार सरकार दिनांक 16 दिसंबर 2022 को बिहार विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अध्याय–1 : परिचय

- बिहार में खान और खनिज से प्राप्तियाँ खान और भूतत्व विभाग द्वारा प्रशासित की जाती हैं। बिहार में पाए जाने वाले लघु खनिजों में, बालू पत्थर, मुर्रम, मिट्टी एवं ईंट मिट्टी, अभ्रक, सिलिका, क्वार्ट्ज और क्वार्टजाइट हैं। राज्य के सभी 38 जिलों में खनन कार्यालय स्थित हैं। प्रमुख खनिज (चूना–पत्थर) का खनन कार्य केवल रोहतास जिले में किया जाता है। बिहार में खनिजों (चूना–पत्थर, बालू, पत्थर और मिट्टी के अलावा) का उत्खनन वर्तमान में नहीं किया जा रहा है।

(कंडिका 1.1)

लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैः

अध्याय–2 : खनन रियायतों के अनुमोदन के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ

- खान एवं भूतत्व विभाग के उदासीन रवैये के कारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन अधूरे रहे। विभाग ने 2020–24 के लिए बालू घाट के पट्टों के बंदोबस्त की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को पूरा किए बिना शुरू की (अगस्त 2019)। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभाग को नए सिरे से जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2021)। यदि विभाग ने निविदा प्रक्रिया से पूर्व जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया होता और नये पट्टेदारों के साथ पट्टों का निष्पादन किया होता तो विभाग को राजस्व की प्राप्ति होती।

(कंडिका 2.1)

- गूगल अर्थ प्रो पर बालू घाटों के निर्देशांक प्लॉट करने से पता चला कि खनन योजना में खनन गतिविधियों के लिए अनुमोदित दो जिलों के पाँच बालू घाटों का क्षेत्र सही नहीं था। रोहतास जिले में उच्च तीव्रता वाले विद्युत टॉवर के बीच एक प्रतिबन्धित क्षेत्र में बालू निष्कर्षण के लिए खनन क्षेत्र दिया गया था।

(कंडिका 2.2.1)

- बाँका जिलें में, बालू निष्कर्षण के लिए क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्रों जैसे पुलों के पास और नदी के बीच में आवंटित किया गया था।

(कंडिका 2.2.2.)

अध्याय–3: खनन प्राप्तियों का मूल्यांकन एवं संग्रहण

- जिला समाहर्त्ता, भागलपुर ने नौ बालू घाटों के पट्टे रद्द कर दिए और प्रतिभूति जमा ₹ 1.76 करोड़ वापस कर दिए जो बिहार बालू खनन नीति, 2013 के प्रावधानों के विरुद्ध थी। आगे, दूसरी सबसे अधिक बोली लगाने वाले को पट्टा

की पेशकश नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.63 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था।

(कंडिका 3.1)

- बंदोबस्त राशि की गलत गणना के कारण सात जिला खनन कार्यालयों में ₹ 16.05 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.2)

- आठ जिलों में बालू घाट के पट्टेदारों ने 01 से 225 दिनों के बीच की देरी के साथ रॉयल्टी/बन्दोबस्त राशि का भुगतान किया। बिलम्बित भुगतान पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹ 10.22 करोड़ रुपए की राशि ब्याज नहीं लगाया गया था।

(कंडिका 3.3)

- आठ जिला खनन कार्यालयों में 2015–19 की पट्टा अवधि को पिछले वर्ष की 50 प्रतिशत बन्दोबस्त राशि में वृद्धि के साथ 31.12.2021 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन संबंधित जिला खनन कार्यालयों ने विस्तारित अवधि के दौरान सुरक्षित जमा के रूप में ₹ 94.97 करोड़ की वसूली नहीं की।

(कंडिका 3.4)

- आठ जिलों में, पट्टे की अवधि 2015–19 के लिए पंजीकृत विलेख का निष्पादन नहीं करने और सितबंर 2021 तक की अवधि को बढ़ाने के लिए पट्टदेारों से मुद्रांक शुल्क और निबधंन फीस की वसूली नहीं की गई थी, जिससे ₹ 97.41 करोड़ का नुकसान हुआ।

(कंडिका 3.5)

- जिला समाहर्त्ता/जिला खनन पदाधिकारी पट्टा देने के सात वर्ष एवं पट्टा अनुबंध के निष्पादन से चार वर्ष बीत जाने के बाद भी नवादा जिले में पत्थर के पट्टे के लिए बन्दोबस्त राशि ₹ 9.21 करोड़ प्राप्त करने में विफल रहे। इसके अलावा, जिला समाहर्त्ता/जिला खनन पदाधिकारी ने बन्दोबस्त राशि प्राप्त न होने पर पट्टे को रद्द करने और पुनर्बन्दोबस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

(कंडिका 3.8.1)

- 14 जिला खनन कार्यालयों में, अवैध रूप से संचालित 2,926 ईंट भट्ठों से ₹ 61.08 करोड़ की रॉयल्टी और जुर्माना वसूल नहीं किया जा सका।

(कंडिका 3.13.2)

अध्याय-4: अवैध खनन

- भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन लेखापरीक्षा द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना की मदद से किया गया जिससे अभिरूचि के क्षेत्रों में सभी बालू घाटों के बाहर अवैध खनन किया जा रहा था। चयनित अभिरूचि के क्षेत्रों में, उपग्रह छवियों के विश्लेषण से अवैध खनन का पता चला एवं अवैध खनन का चलन बढ़ रहा था।

(कंडिका 4.1 एवं 4.2)

- तीन जिलों में सोन बालू घाटों में उपलब्ध उपग्रह छवियों का गूगल अर्थ प्रो के विश्लेषण से पता चला कि खनन गतिविधियाँ पर्यावरणीय प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना 12 बालू घाटों में की गई।

(कंडिका 4.3.1)

- 20 नियोजित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में से, विभाग द्वारा कार्यान्वित सूचना प्रौद्यौगिकी प्रणालियों में केवल पाँच ही क्रियाशील पाए गए थे। जबकि ई–चालान, उन्हें बनाने और मैन्युअल रूप से अवरूद्ध करने की सुविधा के साथ क्रियाशील थी उसमें आवश्यक सुरक्षा विशेषताएँ नहीं थी क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान बहुत सारे नकली ई–चालान पाए गए थे।

(कंडिका 4.4)

- 14 नमूना जिलों में, खनिजों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले एम्बुलेंस, बस, ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल आदि के 46,935 अवास्तविक वाहनों की पंजीकरण संख्या का उपयोग करके 2,43,811 ई–चालान उत्पन्न किए गए थे।

(कंडिका 4.5)

- 11 जिला खनन कार्यालयों में 15,723 मामलों में बालू ले जाने के लिए एक दिन में एक वाहन के लिए 11 से 861 ई–चालान बनाये गये। चार जिलों में, संबंधित पट्टेदारों ने 2018–20 के दौरान पत्थर निर्गत करते समय एक दिन में 10 बार से 142 बार तक ई–चालान उत्पन्न किया।

(कंडिका 4.6)

- 16 कार्य प्रमण्डलो में लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित 33,191 ई–चालानों में से 21,192 (63.85 प्रतिशत) फर्जी पाये गये तथा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किये गये थे।

(कंडिका 4.7)

अध्याय-5: खान और खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि

- 14 नमूना जिला खनन कार्यालयों में दिसम्बर 2014 से सितम्बर 2021 तक जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के लिए ₹ 91.86 करोड़ में से, ₹ 82.30 करोड़ की वसूली की गई, जो जमा और अप्रयुक्त रहे।

(कंडिका 5.1)

- सात जिला खनन कार्यालयों में, साधारण मिट्टी के निष्कर्षण के लिए ठेकेदारों/एजेंसियों द्वारा रॉयल्टी के रूप में ₹ 10.91 करोड़ जमा किए गए थे, लेकिन सबंधित जिला खनन पदाधिकारियों ने ठेकेदारों/एजेंसियों द्वारा रॉयल्टी के रूप में ₹ 4.58 करोड़ के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन निधि एवं मालिकाना शुल्क नहीं आरोपित किया।

(कंडिका 5.10)

अध्याय-6: आंतरिक नियंत्रण, निगरानी तंत्र और अंतर–विभागीय समन्वय

- अवैध खनिजों के परिवहन में संलिप्त जब्त वाहनों के संदर्भ में जिला परिवहन कार्यालय और जिला खनन कार्यालय के बीच समन्वय न होने के कारण ₹ 4.20 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी क्योंकि इन वाहनों के दस्तावेज संबंधित जिला खनन कार्यालयों को हस्तांतरित नहीं किए गए थे।

(कंडिका 6.2)

- कृषि प्रयोजनों के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों का वाणिज्यिक कार्यकलापों में अवैध उपयोग के कारण मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ₹ 12.77 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी।

(कंडिका 6.3)

- विभाग के डेटाबेस को वाहन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर में इस सुविधा के अभाव में, वाहनों की लदान क्षमता से अधिक के 17,03,104 ई–चालान उत्पन किए गए थे।

(कंडिका 6.4)

- 14 नमूना जिलों में वर्ष 2018 से 2020 के दौरान खनिज परिवहन के लिए 82,990 अयोग्य वाहनों का उपयोग किया गया था।

(कंडिका 6.5)

- 13 जिला खनन कार्यालयों में, 31 मार्च 2021 तक ₹ 229.43 करोड़ के 20,700 नीलामवाद मामले लंबित थे।

(कंडिका 6.6)

इन विषयों पर अधिक सूचना के लिए कृपया निम्न पते पर हमें सम्पर्क करेः

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार का कार्यालय के प्रवक्ता	श्री आदर्श अग्रवाल उप महालेखाकार (प्रशासन) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना
टेलीफोन नम्बर	0612–2221941 (का.),
फैक्स नम्बर	0612–2506223
मेल आईडी	agarwala2@cag.gov.in
हमारा वेबसाईट	cag.gov.in/ag/bihar/hi
मीडिया अधिकारी	
	श्री कुन्दन कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना
मोबाईल नम्बर	9431624894

*****